सं.1-41/2019-प्रशासन-I (एफटीएस सं. 8018793)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(वीबीडी अनुभाग)

विषय: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में **उप निदेशक (लॉजिस्टिक्स एवं प्रशासन)** के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी सार्वजनिक सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/16/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में उप **निदेशक (लॉजिस्टिक एवं प्रशासन)** के पद के भर्ती नियमों की प्रारूप अधिसूचना संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक हितधारक, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव श्री वैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 753-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड,नई दिल्ली– 110008 को लिखित रूप में या ई-मेल पते sovbdhfw@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(वैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं: 23061510

नई दिल्ली
दिनांक: 09.06.2020

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2020

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली (समूह-क पद) भर्ती नियमावली, 1976, जहाँ तक वह उप निदेशक (लॉजिस्टिक एवं प्रशासन) के पद से संबंधित है, के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में उप निदेशक (लॉजिस्टिक एवं प्रशासन) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : -**

   (i) इन नियमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, उप निदेशक (लॉजिस्टिक एवं प्रशासन) **समूह 'क' पद** भर्ती नियम, 2020 कहा जायेगा।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल** – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – कई भी व्यक्ति –

   (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है, या

   (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में सतर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (लॉजिस्टिक एवं प्रशासन)	01 (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित (मंत्रालयी)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-12 – अर्थात् (78800 – 209200/- रुपये)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ग्रेड में नियुक्ति आधार पर नियुक्ति के बाद उसमें 5 वर्ष की सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के वेतन लेवल 11 (67700-208700) में सहायक निदेशक (कीटविज्ञानी)। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो अथवा जिनके पास वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 (रु. 67700-208700) में पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा हो। टिप्पणीः उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आम तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल हैं: 1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2) अपर सचिव या संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य 3) उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमन, 1958 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

सं.1-41/2019-प्रशा.I

(वैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार